

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

अपील संख्या : 15/336

1. भंवर लाल आत्मज नारायण उम्र 62 वर्ष जाति मीणा निवासी डोडी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. मोरपाल आत्मज नारायण उम्र 59 वर्ष जाति मीणा निवासी डोडी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. हेमराज आत्मज नारायण उम्र 55 वर्ष जाति मीणा निवासी डोडी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. मोहन आत्मज नारायण उम्र 50 वर्ष जाति मीणा निवासी डोडी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

—अपीलान्ट

**बनाम**

1. केसरा आत्मज रामनाथ जाति मीणा निवासी डोडी तहसील नैनवा जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :-  
 1/1. महावीर आत्मज केसरा जाति मीणा निवासी डोडी तहसील नैनवा ।  
 1/2. आशाराम आत्मज केसरा जाति मीणा निवासी डोडी तहसील नैनवा (नाम तर्क) ।  
 1/3. काली बाई बेवा केसरा जाति मीणा निवासी डोडी तहसील नैनवा ।
2. पन्ना आत्मज रामनाथ जाति मीणा निवासी डोडी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. पांचू उर्फ बाबू आत्मज रतना जाति मीणा निवासी डोडी तहसील नैनवा हाल निवासी भोलू मीणा की झोंपडियों वाया अलोद तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

—रेस्पोंडन्ट

- उपस्थित :-
1. श्री महेश योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
  2. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोंडन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 28.02.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.06.2015 के विरुद्ध पेश की गई हैं ।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोंडेंट क्रम 1 लगायत 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम डोकून तहसील नैनवा में खसरा नम्बर 826 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा भूमि स्थित है। वादग्रस्त आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 01 पांचू उर्फ बाबू का हिस्सा 1/2 के रूप में एवं प्रतिवादीगण के हिस्सा के रूप में 1/2 वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है किन्तु वादग्रस्त आराजी पर एक मात्र वादीगण ही बतौर खातेदार काश्त निरन्तर निर्बाध रूप से संवत् 2030 से काबिज काश्त चले आ रहे हैं। वादीगण के पिता रामा को रामनाथ भी कहते हैं जो एक ही व्यक्ति था तथा नारायण उर्फ रामनारायण भी एक ही व्यक्ति था जो दोनो बाला मीणा के पुत्र थे, दोनो सगे भाई थे। नारायण छोटा था जो गोरा आत्मज धन्ना मीणा निवासी डोडी के गोद चला गया था। प्रतिवादीगण क्रम 2 लगायत 05 के पिता नारायण उर्फ रामनारायण मीणा को गोरा आत्मज धन्ना मीणा ने नारायण के बाल्यकाल में ही संवत् 2000 में गोद रख लिया था। इसलिए वादग्रस्त आराजी में नारायण मीणा का संवत् 2000 में ही हक व स्वत्व समाप्त हो गये थे। अब उनका इस आराजी में कोई हक व स्वत्व नहीं रहा है। बाला ने ही नारायण को गोरा मीणा को गोद दिया था। गोरा मीणा आत्मज धन्ना के खाते की भूमि ग्राम डोकून व डोडी की नारायण गोदपुत्र के खाते गोरा की मृत्यु के बाद लग चुकी है। नारायण की मृत्यु के बाद उक्त भूमि उनके पुत्र भंवरलाल, हेमराज, मोहन, मोरपाल के खाते दर्ज हो चुकी है। वादग्रस्त आराजी में उनके नाम का इन्द्राज अवैध है। सम्पूर्ण भूमि पर वादीगण ही काबिज काश्त चले आ रहे हैं। वादग्रस्त आराजी में राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी क्रम 2 से 5 का अवैध इन्द्राज है जिसे खातेदारी से हटाया जावे। प्रतिवादीगण राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज होने के आधार पर उक्त भूमि को अन्यत्र स्थानान्तरित करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।


3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादीगण क्रम 02 लगायत 05 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाकर वादीगण के नाम इन्द्राज किया जावे क्योंकि इनके पिता नारायण, गोरा आत्मज बाला निवासी डोडी के गोद चले जाने से उसका हक समाप्त हो चुका है तथा आराजी वादीगण के खाते दर्ज की जावे। वादीगण को वादग्रस्त आराजी का कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे उक्त भूमि को किसी अन्य को अन्यत्र स्थानान्तरित नहीं करे, उक्त भूमि से वादीगण को बेदखल नहीं करें।
4. प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 05 ने जवाबदावा पेश कर वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का वादपत्र खारिज करने का कथन किया।
5. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.06.2015 के द्वारा वाद वादीगण स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया।
6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.06.2015 से व्यथित होकर अपीलान्त प्रतिवादी क्रम 2 लगायत 5 ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली दिनांक 29.08.2013 को साक्ष्य प्रतिवादी में लम्बित थी। उक्त पेशी पर अभिभाषक प्रतिवादीगण द्वारा No instruction plead किया

गया परन्तु अपीलान्तगण को इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी गई और पत्रावली को लगातार तारीख पेशी पर सम्मिलित करते हुए बिना सूचना व सुनवाई का अवसर दिये लोक अदालत में निर्णय पारित कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय में समस्त पक्षकारान उपस्थित नहीं हुए हैं और न ही पक्षकारान के मध्य कोई राजीनामा हुआ है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्त दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।
8. अपीलान्त के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा रेस्पोजेन्टगण द्वारा घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा एवं बंटवारे का पेश किया था । पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी में लम्बित थी उस पेशी पर अभिभाषक प्रतिवादीगण के द्वारा **No instruction plead** किया गया परन्तु अपीलान्तगण को इसको सूचना नहीं दी गई । अपीलान्तगण को बिना सूचना दिये इसको लोक अदालत में रखा गया और दावा वादी डिक्री किया गया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । पक्षकारों के मध्य कोई विधिक राजीनामा नहीं हुआ है । अपीलान्त को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर नहीं मिला है । गोद के प्रश्न को तय करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है । सहखातेदार के विरुद्ध कब्जे का प्रावधान लागू नहीं होता है । अतः अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।
9. रेस्पोजेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि दिनांक 29.08.2013 को **No instruction plead** किया । दिनांक 14.11.2013 को इस आधार पर उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की जा चुकी थी । अपीलान्त के द्वारा अपने अभिभाषक का शपथ पत्र पेश नहीं किया है कि उनके द्वारा पक्षकारों को कोई सूचना नहीं दी गई और पक्षकार ने भी शपथ पत्र पेश नहीं किया है । चूंकि प्रतिवादीगण के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही हो चुकी थी ऐसी स्थिति में लोक अदालत में पत्रावली में उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर दावा वादी विधि सम्मत रूप से डिक्री किया गया है । अतः अपील अपीलान्त खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.06.2015 बहाल रखा जावे ।
10. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 29.08.2013 को प्रतिवादीगण के अभिभाषक ने **No instruction plead** किया है । इसके उपरान्त दिनांक 14.11.2013 को पक्षकारों को सूचना दिये बिना उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई है जबकि अभिभाषक के द्वारा **No instruction plead** करने की स्थिति में न्यायालय को पक्षकारों को सूचना किया जाना अनिवार्य होता है । आदेशिका दिनांक 04.06.2014 के अनुसार पक्षकारान के अभिभाषक उपस्थित हुए हैं और दिनांक 11.06.2015 की आदेशिका के अनुसार पक्षकारान के अभिभाषक उपस्थित हुए हैं और बहस उभयक्षीय सुनी गई है जबकि इससे पूर्व किसी भी आदेशिका में

प्रतिवादीगण के खिलाफ जो एक तरफा कार्यवाही की गई थी इसको निरस्त करने के बारे में कोई आदेशिका अंकित नहीं है ।

11. लोक अदालत में दिनांक 12.06.2015 को पक्षकारों की अनुपस्थिति में गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया गया है । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । दिनांक 10.12.2012 की आदेशिका के अनुसार तनकीयात कायम की गई हैं परन्तु निर्णय तनकीवार पारित नहीं किया गया है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम इस प्रकरण में अपीलान्त प्रतिवादीगण को साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाना आवश्यक समझते हैं ।
12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.06.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादीगण को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 22.04.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।
13. निर्णय आज दिनांक 28.02.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।



(भागवती जेठवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा